

ANNEXURE I

Copy of LoI

OLD LOI

जिला खनन् कार्यालय, रोहतास, सासाराम।

पत्रांक-...../खनन, सासाराम, दिनांक-.....

प्रेषित,

बिमल कुमार,
पिता-श्याम सुन्दर यादव,
मोहल्ला-कुर्जी, पो0-कुर्जी मोड़,
था0-दीघा,
जिला-पटना।
पिन कोड-800010
ई-मेल vimal9334575@gmail.com

विषय :- रोहतास जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट/ब्लॉक संख्या-13 की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-21.11.2022 को सम्पन्न ई-नीलामी में उच्चतम् डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक रोहतास जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट/ब्लॉक संख्या-13, रकबा-57.80 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-21.11.2022 को सम्पन्न ई-नीलामी में आपके द्वारा मो0-15,60,60,000/-के विरुद्ध उच्चतम् डाक की राशि मो0-35,89,38,000/- (पैंतीस करोड़ नवासी लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) रुपये की बोली के फलस्वरूप उच्चतम् डाकवक्ता घोषित हुए। निविदा दस्तावेज की कंडिका-20 (i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (जमा अग्रधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति राशि मो0-5,07,19,500/-रू0 (पाँच करोड़ सात लाख उन्नीस हजार पाँच सौ) रुपये के भुगतान का साक्ष्य दिनांक-24.11.2022 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका 20(i)(ii)(iii)(iv)(v) के आलोक में जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट/ब्लॉक संख्या-13 का सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त एवं बंधेज निम्नवत् हैं :-

1. बालूघाट/ब्लॉक संख्या-13 से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0	नदी का नाम	बालूघाट/ब्लॉक संख्या	कुल रकबा (हे0)	Geo-co-ordinates	
				LATITUDE	LONGITUDE
1	Son	Block-13 / Hurka	57.80	24° 55' 10.528" N	84° 13' 6.698" E
				24° 55' 46.687" N	84° 13' 15.863" E
				24° 55' 46.783" N	84° 13' 15.889" E
				24° 55' 46.074" N	84° 13' 16.783" E
				24° 55' 45.658" N	84° 13' 17.307" E
				24° 55' 44.878" N	84° 13' 18.289" E
				24° 55' 44.759" N	84° 13' 18.438" E
				24° 55' 43.953" N	84° 13' 19.454" E
				24° 55' 43.770" N	84° 13' 19.684" E
				24° 55' 42.940" N	84° 13' 20.730" E

			24° 55' 42.786" N	84° 13' 20.924" E
			24° 55' 41.946" N	84° 13' 21.982" E
			24° 55' 41.740" N	84° 13' 22.241" E
			24° 55' 41.118" N	84° 13' 23.025" E
			24° 55' 41.005" N	84° 13' 23.167" E
			24° 55' 39.783" N	84° 13' 24.706" E
			24° 55' 39.658" N	84° 13' 24.863" E
			24° 55' 38.793" N	84° 13' 25.953" E
			24° 55' 38.520" N	84° 13' 26.297" E
			24° 55' 37.522" N	84° 13' 27.553" E
			24° 55' 37.212" N	84° 13' 27.944" E
			24° 55' 36.501" N	84° 13' 28.839" E
			24° 55' 36.379" N	84° 13' 28.992" E
			24° 55' 35.579" N	84° 13' 30.000" E
			24° 55' 35.297" N	84° 13' 30.355" E
			24° 55' 34.523" N	84° 13' 31.330" E
			24° 55' 34.439" N	84° 13' 31.436" E
			24° 55' 33.572" N	84° 13' 32.528" E
			24° 55' 33.352" N	84° 13' 32.805" E
			24° 55' 32.557" N	84° 13' 33.806" E
			24° 55' 32.424" N	84° 13' 33.973" E
			24° 55' 31.453" N	84° 13' 35.197" E
			24° 55' 31.260" N	84° 13' 35.439" E
			24° 55' 30.638" N	84° 13' 36.223" E
			24° 55' 30.361" N	84° 13' 36.572" E
			24° 55' 30.130" N	84° 13' 36.862" E
			24° 55' 29.955" N	84° 13' 36.724" E
			24° 54' 58.527" N	84° 13' 9.839" E
			24° 55' 10.528" N	84° 13' 6.698" E
2	वन क्षेत्र से दूरी-			12.29 किलो मीटर

3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी	लागू नहीं
4	खनन योग्य मात्रा-	1040400 घनमीटर

2. भुगतान की शर्तें :-

- नीलामीत राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुरूप होगा।
- प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 06 महीना पूरा होने से पहले।

- GST का भुगतान :-** जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
- आयकर/अन्य करों का भुगतान :-** आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
- जिला खनिज फाउन्डेशन :-** Bihar Mineral District Foundatin Rules, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की दो (2) प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउन्डेशन, रोहतास, सासाराम के नाम भुगतये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।
- वैधानिक अनापत्ति :-** बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति यथा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि आपके द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI) निर्गत तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार हैं:-
 - खनन योजना:-** खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेन्ट निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।
 - पर्यावरणीय स्वीकृति:-** सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय

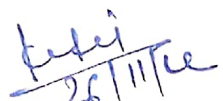
स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

- iii. **जल एवं वायु सहमति:-** पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/ Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- iv. **खनन के लिए अनुमत मात्रा:-** खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।
- v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः नीलामी की कार्रवाई की जायगी।

7. बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना :-

- i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बंदोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा विहित अपेक्षित राशि संबंधित विभाग में जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।
 - ii. बंदोबस्तधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।
8. सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती प्रत्यार्पण/कारोबार छोड़ने का विकल्प बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-50 के अनुरूप किया जा सकेगा।
9. सामान्य शर्तें :-
- (i) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड एवं सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन करायेगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।
 - (ii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।
 - (iii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच-पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।
 - (iv) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की होगी।
 - (v) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायगी।
 - (vi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधन और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
 - (vii) यथोक्त शर्तों, बंधों एवं निर्बंधनों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

- (viii) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बकाया का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
- (ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार समाहर्ता, रोहतास, सासाराम / जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कर बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images खनन कार्य प्रारंभ करने के पहले जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम में समर्पित करना होगा।
- (x) बालूघाट से लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पडती हो सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवदेन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।
- (xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xiii) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xiv) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निदेश/आदेश इत्यादि IT-Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।


 खनिज विकास पदाधिकारी
 रोहतास, सासाराम।

NEW LOI



समाहरणालय, रोहतास, सासाराम।

(खनन शाखा)

पत्रांक:- 955 / खनन, सासाराम।

दिनांक:- 12/06 / 2024

ई-मेल :- miningrohtas@gmail.com

प्रेषित,

विकास कुमार सिंह
पिता-राम लखन सिंह,
निवासी-चंदनपुरा मोहल्ला, सिविल लाइन, सासाराम,
पो0+था0-सासाराम,
जिला-रोहतास।
ई-मेल vikas.chandanpura@gmail.com

विषय :- रोहतास जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट/ब्लॉक संख्या-13 की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-10.06.2024 को सम्पन्न ई-नीलामी में उच्चतम् डाकवक्ता घोषित होने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक रोहतास जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट/ब्लॉक संख्या-13, रकबा-57.80 हेक्टेयर की आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-10.06.2024 को सम्पन्न ई-नीलामी में सुरक्षित जमा राशि मो0-15,60,60,000/-के विरुद्ध आपके द्वारा उच्चतम् डाक की राशि मो0-17,16,66,000/- (सत्तरह करोड़ सोलह लाख छियासठ हजार रू0 मात्र) की बोली के फलस्वरूप आप उच्चतम् डाकवक्ता घोषित हुए। निविदा दस्तावेज की कंडिका-20(i) के आलोक में आपके द्वारा नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (जमा अग्रधन राशि समायोजनोपरान्त) प्रतिभूति राशि मो0-39,01,500/-रू0 (उनचालीस लाख एक हजार पाँच सौ) रुपये के भुगतान का साक्ष्य दिनांक-12.06.2024 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

निविदा दस्तावेज की कंडिका-20(i)(ii)(iii)(iv)(v) के आलोक में जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट/ब्लॉक संख्या-13 का सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त एवं बंधेज निम्नवत् हैं :-

1. बालूघाट/ब्लॉक संख्या-13 से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

क्र0	नदी का नाम	बालूघाट/ब्लॉक संख्या	कुल रकबा (हे0)	Geo-co-ordinates	
				LATITUDE	LONGITUDE
1	Son	Block-13 / Hurka	57.80	24° 55' 10.528" N	84° 13' 6.698" E
				24° 55' 46.687" N	84° 13' 15.863" E
				24° 55' 46.783" N	84° 13' 15.889" E
				24° 55' 46.074" N	84° 13' 16.783" E
				24° 55' 45.658" N	84° 13' 17.307" E
				24° 55' 44.878" N	84° 13' 18.289" E
				24° 55' 44.759" N	84° 13' 18.438" E
				24° 55' 43.953" N	84° 13' 19.454" E
				24° 55' 43.770" N	84° 13' 19.684" E
				24° 55' 42.940" N	84° 13' 20.730" E
				24° 55' 42.786" N	84° 13' 20.924" E

				24° 55' 41.946" N	84° 13' 21.982" E
				24° 55' 41.740" N	84° 13' 22.241" E
				24° 55' 41.118" N	84° 13' 23.025" E
				24° 55' 41.005" N	84° 13' 23.167" E
				24° 55' 39.783" N	84° 13' 24.706" E
				24° 55' 39.658" N	84° 13' 24.863" E
				24° 55' 38.793" N	84° 13' 25.953" E
				24° 55' 38.520" N	84° 13' 26.297" E
				24° 55' 37.522" N	84° 13' 27.553" E
				24° 55' 37.212" N	84° 13' 27.944" E
				24° 55' 36.501" N	84° 13' 28.839" E
				24° 55' 36.379" N	84° 13' 28.992" E
				24° 55' 35.579" N	84° 13' 30.000" E
				24° 55' 35.297" N	84° 13' 30.355" E
				24° 55' 34.523" N	84° 13' 31.330" E
				24° 55' 34.439" N	84° 13' 31.436" E
				24° 55' 33.572" N	84° 13' 32.528" E
				24° 55' 33.352" N	84° 13' 32.805" E
				24° 55' 32.557" N	84° 13' 33.806" E
				24° 55' 32.424" N	84° 13' 33.973" E
				24° 55' 31.453" N	84° 13' 35.197" E
				24° 55' 31.260" N	84° 13' 35.439" E
				24° 55' 30.638" N	84° 13' 36.223" E
				24° 55' 30.361" N	84° 13' 36.572" E
				24° 55' 30.130" N	84° 13' 36.862" E
				24° 55' 29.955" N	84° 13' 36.724" E
				24° 54' 58.527" N	84° 13' 9.839" E
				24° 55' 10.528" N	84° 13' 6.698" E
2	वन क्षेत्र से दूरी—			12.29 किलो मीटर	
3	सुरक्षित क्षेत्र/वन अभ्यारण क्षेत्र/पक्षी अभ्यारण/वन्य जीव आश्रयण क्षेत्र से दूरी			लागू नहीं	
4	बालूघाट/बालूखण्ड से 500 मीटर के अन्दर खनन पट्टा क्षेत्र की स्थिति			हाँ, (कलस्टर रकबा 538.21 हे०)	
5	खनन योग्य मात्रा—			1040400 घनमीटर	

1

2. भुगतान की शर्तें :-

- (i) नीलामीत राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके अनुक्रमी वर्षों में बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत अथवा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित निदेशों के अनुरूप होगा।
- (ii) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करना होगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 06 महीना पूरा होने से पहले।

3. **GST का भुगतान** :- जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
4. **आयकर/अन्य करों का भुगतान** :- आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
5. **जिला खनिज फाउन्डेशन** :- Bihar Mineral District Foundation Rules, 2018 के अनुसार बंदोबस्ती राशि की दो (2) प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउन्डेशन, रोहतास, सासाराम के नाम भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।
6. **वैधानिक अनापत्ति** :- बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति यथा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि आपके द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI) निर्गत तिथि से तीन माह की अवधि के अन्दर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किये जाने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-
 - i. **खनन योजना**:- खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेन्ट निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।
 - ii. **पर्यावरणीय स्वीकृति**:-सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
 - iii. **जल एवं वायु सहमति**:- पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण

निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन राक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

- iv. खनन के लिए अनुमत मात्रा:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।
- v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः नीलाग्री की कार्रवाई की जायेगी।

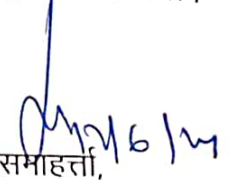
7. बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना :-

- i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बंदोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसका समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा विहित अपेक्षित राशि संबंधित विभाग में जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।
- ii. बंदोबस्तधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अंदर कराना अनिवार्य होगा।
8. सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती प्रत्यार्पण/कारोबार छोड़ने का विकल्प विहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-50 के अनुरूप किया जा सकेगा।

9. सामान्य शर्त :-

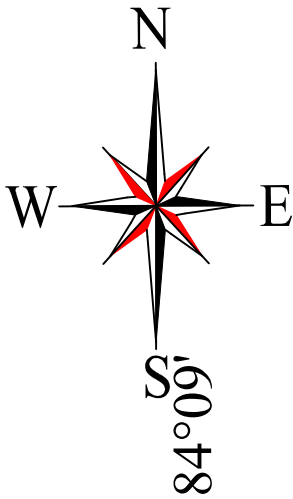
- (i) बंदोबस्तधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड एवं सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन करायेगा जिसपर बंदोबस्तधारी का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शारित्त अधिरोपित की जाएगी।
- (ii) बंदोबस्तधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।
- (iii) बंदोबस्तधारी संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच-पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।
- (iv) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की होगी।
- (v) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी बंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होंगे और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
- (vi) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी समाहर्ता द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।
- (vii) यथोक्त शर्तों, बंधेजों एवं निर्बंधनों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- (viii) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करने की दशा में 30 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा बकाया का भुगतान करने में असाफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ बंदोबस्ती रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

- (ix) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार समाहर्ता, रोहतास, सासाराम/जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू बंदोबस्तधारी को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की जवाबदेही होगी, जिसे RQP/ अंचलाधिकारी की उपस्थिति में प्रमाणित कर बालूघाटों के निर्धारित क्षेत्र का Reduced Level (RL)/Pre-Level (PL) एवं Satellite images खनन कार्य प्रारंभ करने के पहले जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम में समर्पित करना होगा।
- (x) बालूघाट से लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे।
- (xi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः बंदोबस्तधारी की होगी एवं विभाग से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
- (xiii) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।
- (xiv) सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गयी कोई भी सूचना/निर्देश/आदेश इत्यादि IT-Act के तहत स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में माना जायेगा।

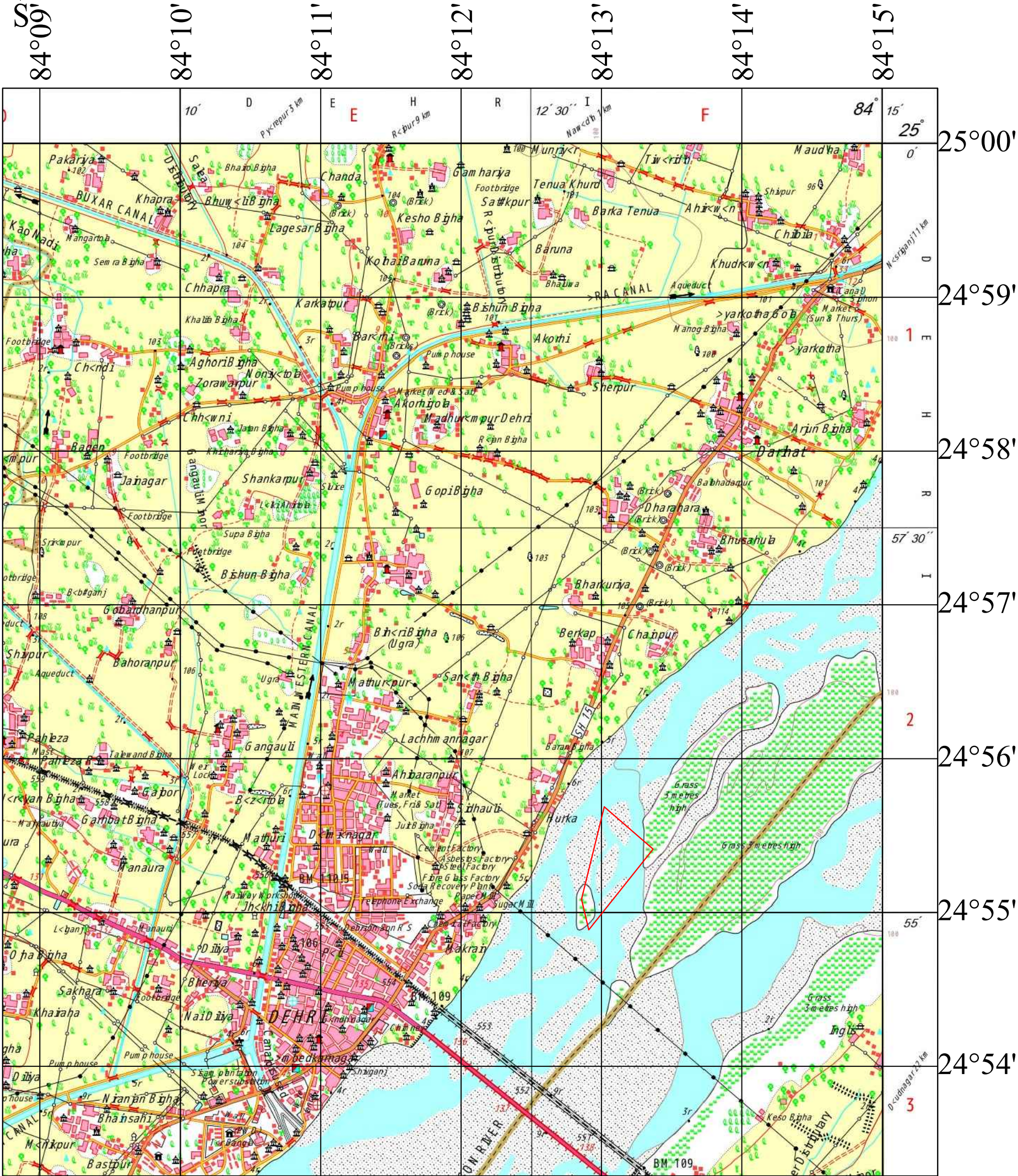

समाहर्ता,
रोहतास, सासाराम।

ANNEXURE II

Key Plan



TOPPOSHEET NO. - G45S1



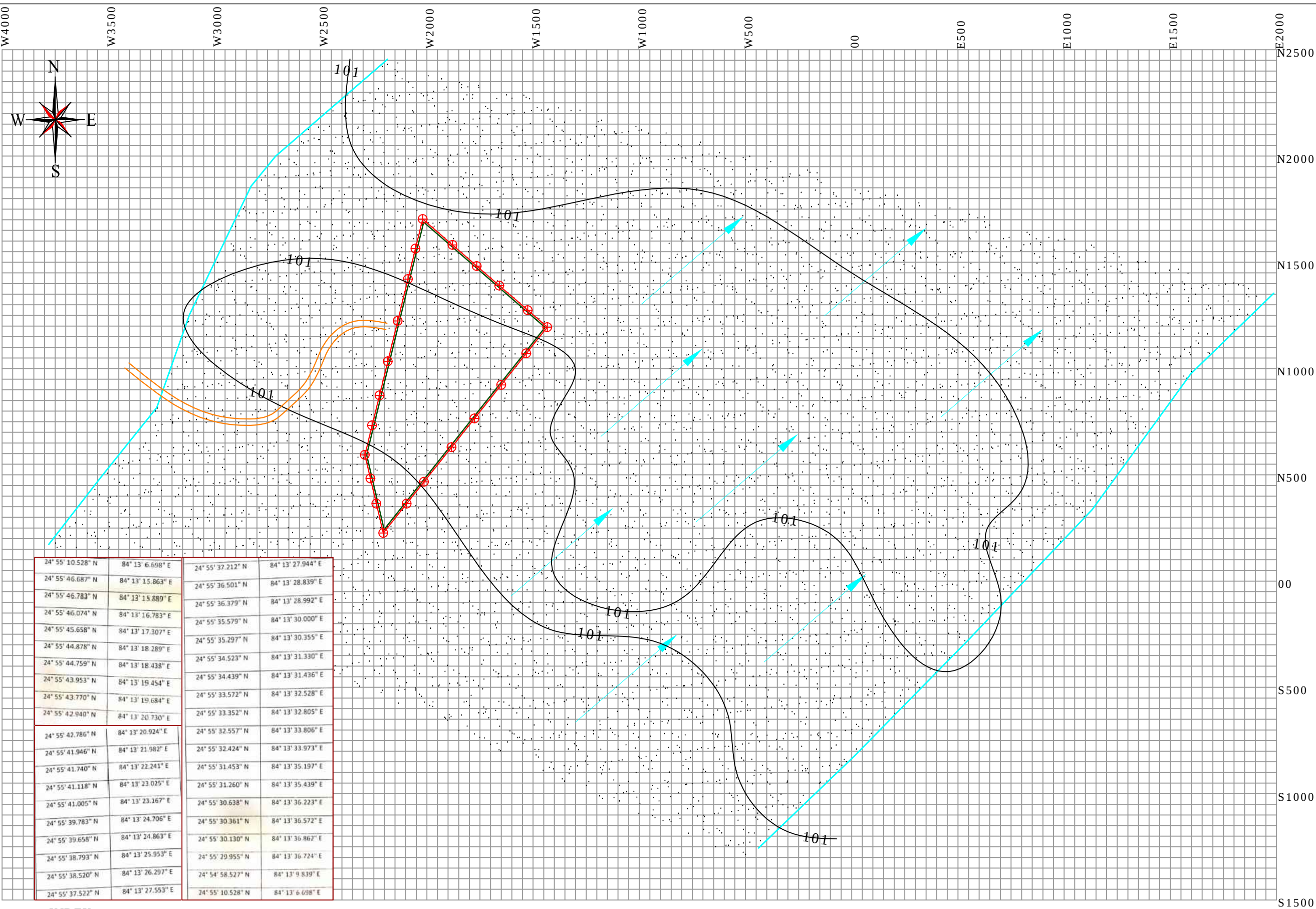
INDEX

PROPOSED SAND AREA

ROHTAS_SON_13 SAND MINE	
MOUZA - HURKA, ANCHAL - DEHRI DISTRICT - ROHTAS, STATE - BIHAR	
APPLICANT: MR. VIMAL KUMAR	
KEY PLAN	
APPLIED AREA: 57.80 HA	
SCALE 1:50,000	PLATE NO - 1
UNITED EXPLORATION INDIA PVT. LTD. NABET/APA-MPPA/IA/006 DATED - MAR16,2021 TO MARCH 11, 2024	

ANNEXURE III

Surface cum Geological Plan & Sections

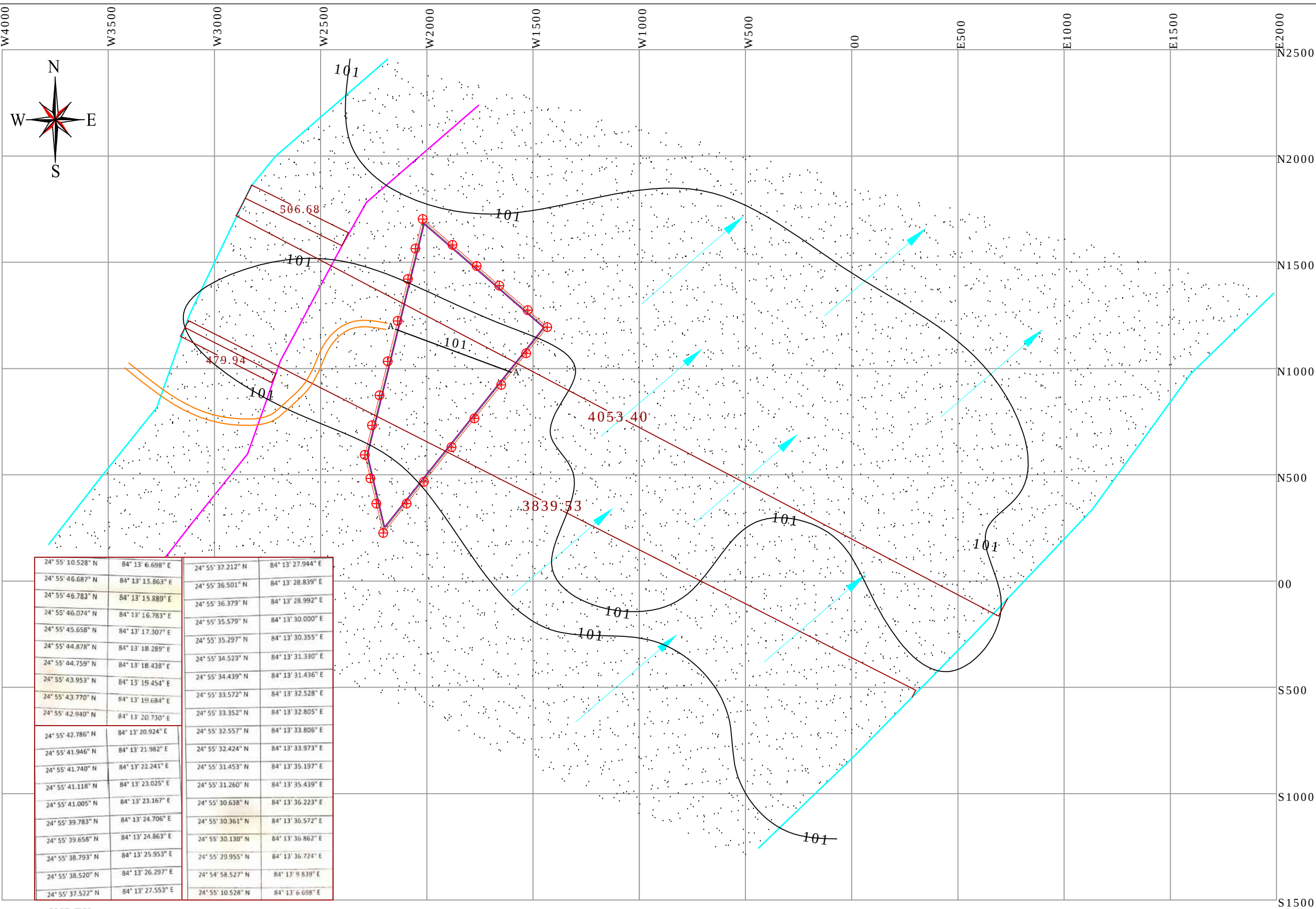


24° 55' 10.528" N	84° 13' 6.698" E	24° 55' 37.212" N	84° 13' 27.944" E
24° 55' 46.687" N	84° 13' 15.863" E	24° 55' 36.501" N	84° 13' 28.839" E
24° 55' 46.783" N	84° 13' 15.889" E	24° 55' 36.379" N	84° 13' 28.992" E
24° 55' 46.074" N	84° 13' 16.783" E	24° 55' 35.579" N	84° 13' 30.000" E
24° 55' 45.658" N	84° 13' 17.307" E	24° 55' 35.297" N	84° 13' 30.355" E
24° 55' 44.878" N	84° 13' 18.289" E	24° 55' 34.523" N	84° 13' 31.330" E
24° 55' 44.759" N	84° 13' 18.438" E	24° 55' 34.439" N	84° 13' 31.436" E
24° 55' 43.953" N	84° 13' 19.454" E	24° 55' 33.572" N	84° 13' 32.528" E
24° 55' 43.770" N	84° 13' 19.684" E	24° 55' 33.352" N	84° 13' 32.805" E
24° 55' 42.940" N	84° 13' 20.730" E	24° 55' 32.557" N	84° 13' 33.806" E
24° 55' 42.786" N	84° 13' 20.924" E	24° 55' 32.424" N	84° 13' 33.973" E
24° 55' 41.946" N	84° 13' 21.982" E	24° 55' 31.453" N	84° 13' 35.197" E
24° 55' 41.740" N	84° 13' 22.241" E	24° 55' 31.260" N	84° 13' 35.439" E
24° 55' 41.118" N	84° 13' 23.025" E	24° 55' 30.638" N	84° 13' 36.223" E
24° 55' 41.005" N	84° 13' 23.167" E	24° 55' 30.361" N	84° 13' 36.572" E
24° 55' 39.783" N	84° 13' 24.706" E	24° 55' 30.130" N	84° 13' 36.862" E
24° 55' 39.658" N	84° 13' 24.863" E	24° 55' 29.955" N	84° 13' 36.724" E
24° 55' 38.793" N	84° 13' 25.953" E	24° 54' 58.527" N	84° 13' 9.839" E
24° 55' 38.520" N	84° 13' 26.297" E	24° 55' 10.528" N	84° 13' 6.698" E
24° 55' 37.522" N	84° 13' 27.553" E		

INDEX

	APPLIED AREA		PROPOSED BOUNDARY PILLARS
	CONTOUR LINE		
	GRID LINE		
	APPROACH ROAD		
	RIVER SAND		
	RIVER BED		
	7.5M SAFETY BARRIER		

ROHTAS_SON_13 SAND MINE	
MOUZA - HURKA, ANCHAL - DEHRI, DISTRICT - ROHTAS, STATE - BIHAR	
APPLICANT: MR. VIMAL KUMAR	
SURFACE PLAN	
APPLIED AREA: 57.80 HA	
SCALE 1:4000	PLATE NO. - 2
UNITED EXPLORATION INDIA PVT. LTD. NABET/APA-MPPA/IA/006 DATED - MAR16,2021 TO MARCH 11, 2024	

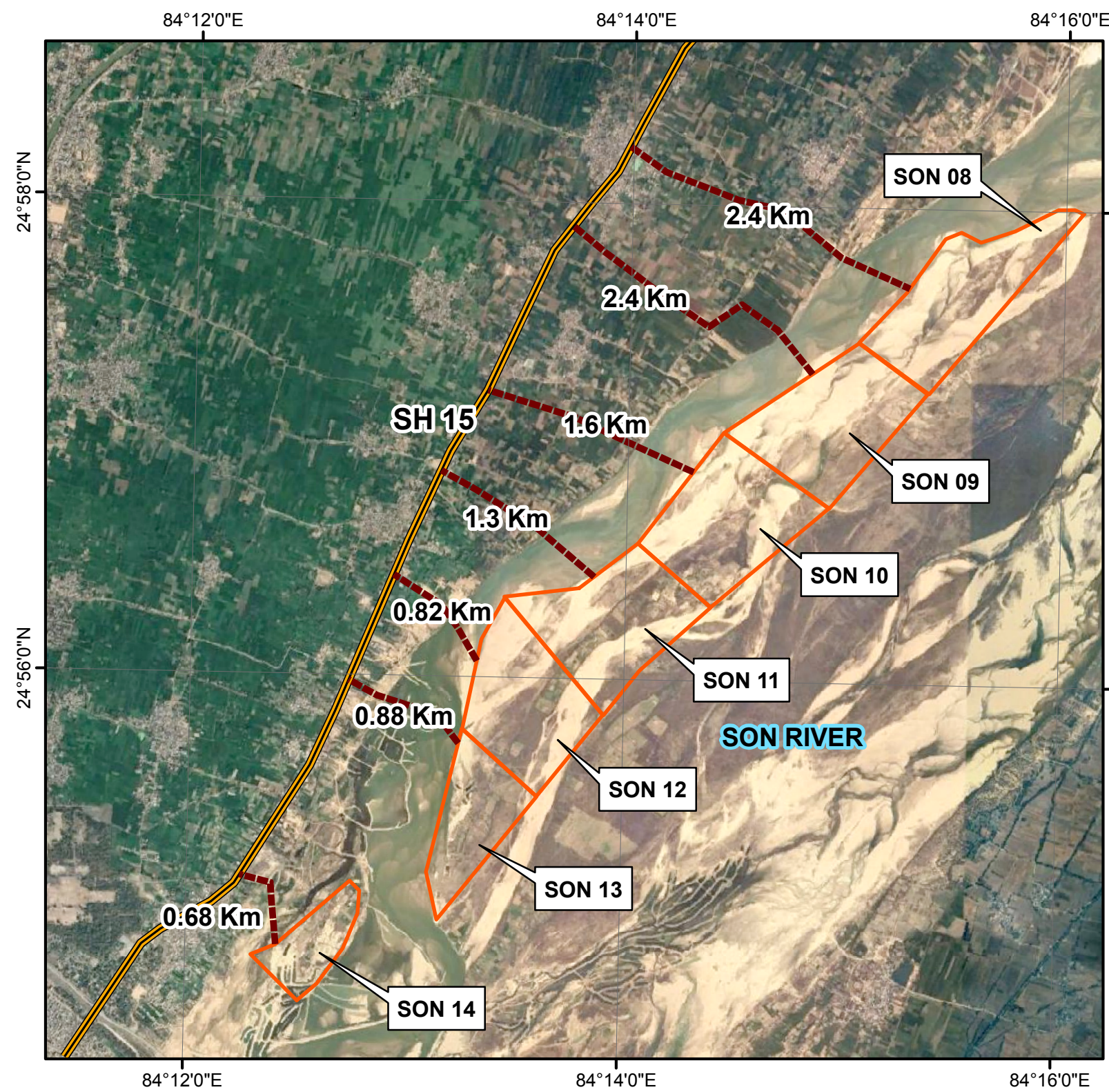


INDEX

	APPLIED AREA		PROPOSED BOUNDARY PILLARS
	CONTOUR LINE		UPL
	GRID LINE		1/8 TH LINE OF RIVER WIDTH
	APPROACH ROAD		
	RIVER SAND		
	RIVER BED		
	7.5M SAFETY BARRIER		

ROHTAS_SON_13 SAND MINE	
MOUZA - HURKA, ANCHAL - DEHRI, DISTRICT - ROHTAS, STATE - BIHAR	
APPLICANT: MR. VIMAL KUMAR	
GEOLOGICAL PLAN & SECTION	
APPLIED AREA: 57.80 HA	
SCALE 1:4000	PLATE NO. - 3
UNITED EXPLORATION INDIA PVT. LTD. NABET/APA-MPPA/IA/006 DATED - MAR16,2021 TO MARCH 11, 2024	

ANNEXURE IV
Haul Route Map



HAUL ROAD MAP OF THE PROJECT SITE

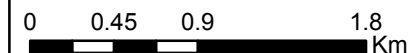
Legend

-  Mining Site
-  Haul Road
-  Metalled Road
-  Highway

Project: ROHTAS SON 08 to 14
Sand Mining Project at Son River

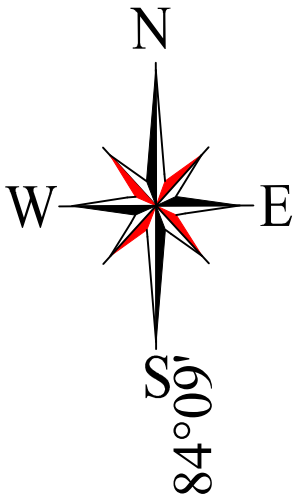
Source: Google Earth Image

Graphical Scale:

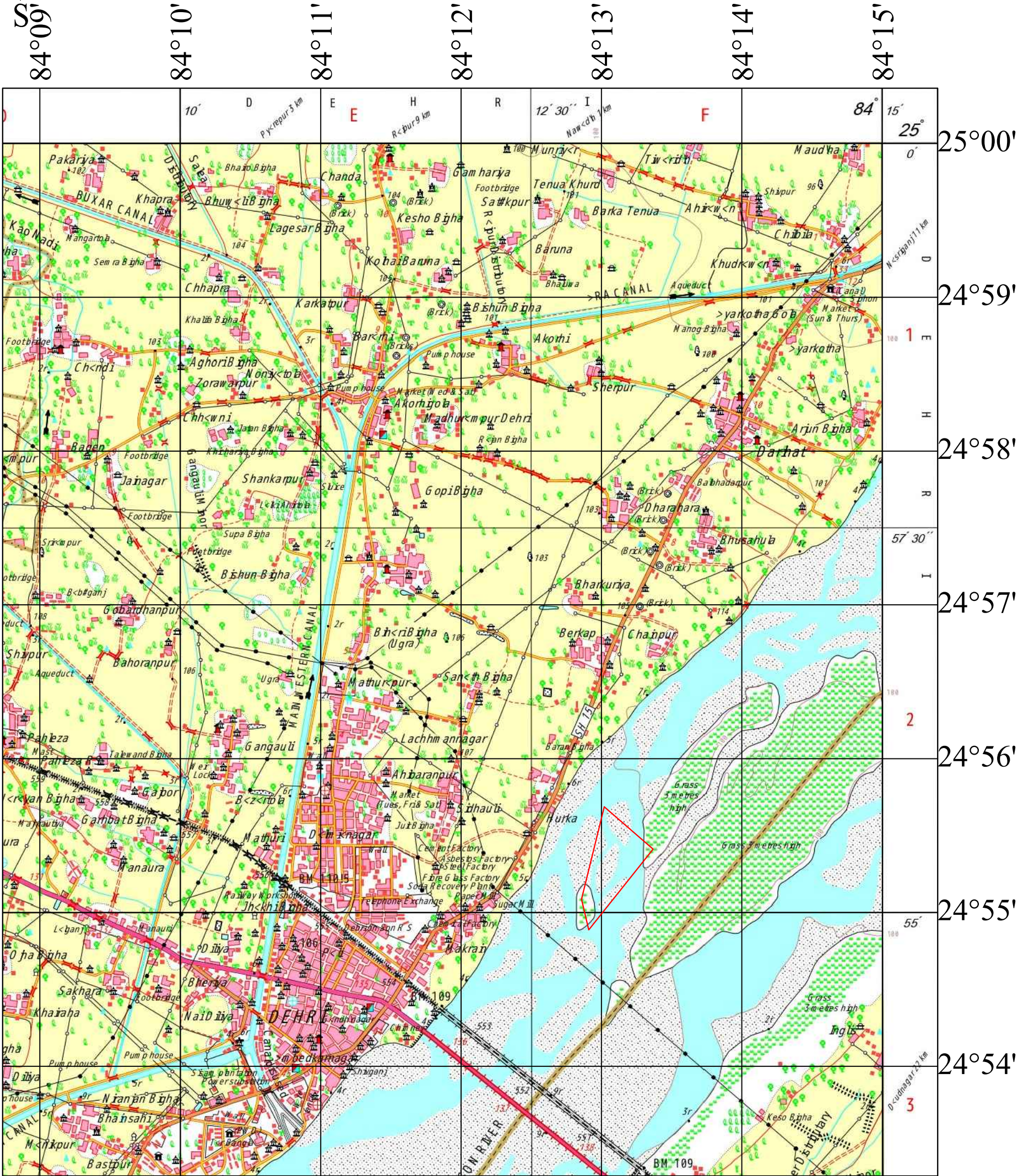


Annexure V

Topomap



TOPPOSHEET NO. - G45S1



INDEX

PROPOSED SAND AREA

ROHTAS_SON_13 SAND MINE	
MOUZA - HURKA, ANCHAL - DEHRI DISTRICT - ROHTAS, STATE - BIHAR	
APPLICANT: MR. VIMAL KUMAR	
KEY PLAN	
APPLIED AREA: 57.80 HA	
SCALE 1:50,000	PLATE NO - 1
UNITED EXPLORATION INDIA PVT. LTD. NABET/APA-MPPA/IA/006 DATED - MAR16,2021 TO MARCH 11, 2024	